



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दिनांक २३.०६.२०२० को आदेश सुरक्षित रखा गया

दिनांक ०७.०८.२०२० को आदेश पारित किया गया

रिट याचिका (एस) क्रमांक २०५७/२०२०

१. चंदन कुर्रे पिता श्री बलीराम कुर्रे उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी क्वार्टर क्रमांक ए-टाइप, क्रमांक २८/२७६
ढेलवाडीह, थाना-कटघोरा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़,
२. सरिता जायसवाल पुत्री श्री जगलाल जायसवाल,
उम्र लगभग २९ वर्ष निवासी ग्राम नौगटा, पोस्ट बोंडा,
थाना-सरिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़,
३. जेम्स मिंज पिता श्री शिव लाल मिंज उम्र लगभग २६ वर्ष,
निवासी ग्राम व पोस्ट देवगढ़, थाना व तहसील सीतापुर,
जिला सरगुजा छत्तीसगढ़,
४. दीपिका सिदार पुत्री श्री सिदार सिंह सिदार, उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी ग्राम औरदा, थाना व तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़,
५. प्रफुल्ल कश्यप पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश कश्यप, उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी वार्ड नंबर ५, नवागांव, थाना कटघोरा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़,
६. अलीश बेक पुत्री श्री तपुनाथ बेक, उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी मकान नंबर ५६, सीतापुर, पोस्ट पेटला, ग्राम कठबुड़ा,
थाना-सीतापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़,
७. देवेश मेश्राम पिता श्री कृष्ण कुमार मेश्राम, उम्र लगभग २५ वर्ष,
निवासी मकान नंबर १८२, थाना धरमपुरा नंबर 1, जगदलपुर,
जिला बस्तर छत्तीसगढ़,
८. अरुणिमा पन्ना पुत्री श्री हरि प्रसाद पन्ना, उम्र लगभग २५ वर्ष,
निवासी जवाहर नगर, वार्ड नंबर २४, थाना जगदलपुर,
जिला बस्तर छत्तीसगढ़,
९. अलका ठाकुर पुत्री श्री भानु प्रताप ठाकुर, उम्र लगभग २३ वर्ष
निवासी कर्मचारी कॉलोनी, ग्राम लहरौद, थाना पिथौरा,
जिला महासमुंद छत्तीसगढ़,
१०. कविता सिंह पुत्री श्री ब्रजराज सिंह, उम्र लगभग २३ वर्ष,
निवासी मकान नंबर ५४, पतराटोली, थाना व तहसील शंकरगढ़,
जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़,



११. विनोद कुमार सिंह पिता स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह,
उम्र लगभग २६ वर्ष, निवासी ग्राम, पोस्ट व थाना खड़गवां,
जिला कोरिया छत्तीसगढ़,
१२. वेद प्रकाश सोनवानी पिता श्री तुलसिंह सोनवानी,
उम्र लगभग २४ वर्ष, निवासी ग्राम फलसापारा, सितलीजोर,
देवभोग, थाना गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़, याचिकाकर्ता

बनाम

१. छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख सचिव,
पशुपालन विभाग महानदी भवन के माध्यम से
मंत्रालय पुलिस थाना एवं चौकी राखी, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
२. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं,
प्रथम तल, ब्लॉक क्रमांक ३ ए
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
३. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, भगत सिंह चौक, रायपुर
जिला रायपुर छत्तीसगढ़, प्रतिवादी

रिट याचिका (एस) क्रमांक २०५८/२०२०

१. दिव्या प्रकाश पैकरा पुत्र श्री गंगा राम पैकरा,
उम्र लगभग २३ वर्ष निवासी ग्राम खजुरी,
पोस्ट, थाना व तहसील प्रतापपुर,
जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़,
२. चन्द्रशेखर पुत्र श्री बनवाली राम,
उम्र लगभग २६ वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक ०८,
शंकर नगर, धमधा, थाना धमधा,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
३. भोजराज साहू पिता श्री लीला राम,
उम्र लगभग २३ वर्ष, निवासी १४९,
कर्मा चौक, कुरुद, पाण्डुका, थाना पाण्डुका,
जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़
४. प्रशांत कुमार उपाध्याय पुत्र श्री चिंतामणि उपाध्याय,
उम्र लगभग २५ वर्ष,



- निवासी ग्राम व पोस्ट बत्रा, थाना बिश्रामपुर,
जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़,
५. प्रिया गजभिये पुत्री श्री ज्ञानी लाल गजभिये,
उम्र लगभग २७ वर्ष निवासी ग्राम पसौद,
पुलिस थाना एवं तहसील गुंडरदेही,
जिला बालोद, छत्तीसगढ़,
६. राहुल ठाकुर पुत्र श्री आर.आर.ठाकुर,
उम्र लगभग २३ वर्ष,
निवासी दल्ली राजहरा, वार्ड नंबर 5,
दल्ली राजहरा, पुलिस थाना दल्ली,
जिला बालोद, छत्तीसगढ़,
७. शिफाली गुप्ता पुत्री श्री फूल चन्द्र गुप्ता,
उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी ग्राम पोस्ट एवं पुलिस थाना मरवाही,
जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़,
८. सविता साहू पुत्री श्री बाबूलाल साहू,
उम्र लगभग २३ वर्ष,
निवासी ग्राम तलोई मुड़ा, थाना सूरजपुर,
जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
९. राजू कुमार सिंह पुत्र श्री समर सिंह,
उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी नवागांव कला, गोपालपुर, तहसील कटघोरा,
थाना दर्री, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़,
१०. इश्मीत कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री संजय कुमार,
उम्र लगभग २३ वर्ष,
निवासी वार्ड नंबर ११ ए मकान नंबर ६०८/एन-१,
सुंदर नगर पेंड्रा रोड, सारबहरा, पुलिस स्टेशन पेंड्रा,
जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़,
११. कमलेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद,
उम्र लगभग २४ वर्ष,
निवासी मकान नंबर २१२, यादव टोला,
ग्राम-चंगेरी, पुलिस स्टेशन और तहसील मरवाही,
जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, छत्तीसगढ़,





१२. आशीष कुमार महंत पुत्र श्री नंद लाल महंत
उम्र लगभग २७ वर्ष निवासी ग्राम कंचनपुर,
पोस्ट ककना, तहसील अंबिकापुर,
थाना धौरपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़,
१३. शारदा डहरिया पुत्री श्री रेवा डहरिया,
उम्र लगभग २५ वर्ष,
निवासी रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक ८,
बिल्हा, थाना बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़,

.... याचिकाकर्ता

बनाम

१. छत्तीसगढ़ राज्य, प्रमुख सचिव,
पशुपालन विभाग, महानदी भवन मंत्रालय,
पुलिस स्टेशन और पोस्ट राखी, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से,
२. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, प्रथम तल,
ब्लॉक क्रमांक ३, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़,
३. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, भगत सिंह चौक, रायपुर,
जिला रायपुर, छत्तीसगढ़,

.... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण द्वारा श्री संतोष कुमार पांडे, अधिवक्ता।
प्रतिवादी/राज्य द्वारा श्री सुदीप अग्रवाल उप महाधिवक्ता।
प्रतिवादी/सी.जी.पी.एस.सी द्वारा श्री आनंद मोहन तिवारी अधिवक्ता।

माननीय श्री पी.आर.रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

सी.ए.व्ही. आर्डर

पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

१. दोनों रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के छात्र हैं और पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने



समान आधार उठाए हैं और समान राहत मांगी है, इसलिए दोनों रिट याचिकाओं को इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

२. याचिकाकर्ता जो अंजोरा, जिला दुर्ग में स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ने सहायक पशु चिकित्सा के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक १९.०२.२०२० (अनुलग्नक पी/४) के विज्ञापन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (जिसे आगे सीजीपीएससी) कहा जाएगा, यानी प्रतिवादी क्रमांक-३ द्वारा जारी किया गया एक आदेश इस आधार पर कि "आवश्यक शैक्षणिक योग्यता" के खंड के तहत विज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पशु चिकित्सा विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और विज्ञापन जारी होने की तारीख से पहले छत्तीसगढ़ राज्य के पशु चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण और साथ ही अधिसूचना दिनांक ०७.०१.२०१९ को क्रमांक एफ१-४५/२०१८/३५ (अनुलग्नक पी/३) अनुसूची-III में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को संशोधित करते हुए, क्रमांक १, कॉलम नंबर ७ में, मनमाना और अनुचित माना जाता है और निम्नलिखित राहत की मांग की गई है,

"१०.१ कि, यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे कि वे याचिकाकर्ताओं के मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक अभिलेख इस माननीय न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

१०.२ कि यह माननीय न्यायालय अधिसूचना संख्या एफ- १४५/२०१८/३५ (अनुलग्नक पी/३) के अनुसार दिनांक ०७.०१.२०१९ के संशोधित नियम को मनमाना और अनुचित घोषित करने की कृपा करे तथा प्रतिवादी प्राधिकारियों को उक्त नियम को यथोचित रूप से संशोधित करने का निर्देश दे।

१०.३ कि, यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे कि वे परिणाम स्वरूप दिनांक १९.०२.२०२० के विज्ञापन (अनुलग्नक पी/४) को संशोधित करें।

१०.४ कि, यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे कि वे याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करें और उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

१०.५ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कोई अन्य राहत निर्देश या आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

३. रिट याचिका में की गई दलील यह है कि याचिकाकर्ता पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक (इसके बाद बी.व्ही.एस.सी और ए.एच) के रूप में संदर्भित के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और उन्होंने अपने



अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के रजिस्ट्रार ने दिसंबर २०१९ के महीने में पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र (बोनाफाइड प्रमाण पत्र) जारी किया। इस तरह के प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने खुद को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर के साथ अनंतिम रूप से पंजीकृत कराया। प्रतिवादी क्रमांक-३/जीपीएससी ने सहायक पशु चिकित्सा सर्जन की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक होने और कानून के तहत स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद के तहत पंजीकृत होने की योग्यता का उल्लेख किया गया था। विज्ञापन के तहत निर्धारित आवेदन जमा करने की तिथि १८.०३.२०२० से १६.०४.२०२० तक है। विज्ञापन में पंजीकरण के संबंध में स्पष्ट स्थिति नहीं दिखाई गई है, क्या केवल स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी या अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जाएगी जिसके लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बाद में, वे व्यक्तिगत रूप से सक्षम अधिकारी से भी मिले हैं। यह सूचित किया कि वे दिनांक १९.०२.२०२० के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। सीजीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में, यहां तक कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों/छात्रों को भी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और उनमें से कुछ का चयन भी होता है और साक्षात्कार के समय, दस्तावेज दिखाने और उसे जमा करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं ने इस प्रत्याशा और उम्मीद में कि उनके आवेदन प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं, सहायक पशु चिकित्सा सर्जन के विज्ञापित पद के लिए १८.०३.२०२० को ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन उन्हें आशंका है कि उनके आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

४. प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, २०११ इसके बाद नियम २०११ के रूप में संदर्भित के रूप में नियम बनाए गए हैं और सहायक पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता भारत या विदेश के



किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक और छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम १९८४ (१९८४ का क्रमांक ५२) के तहत पंजीकृत निर्धारित की गई है। २०११ के नियमों में ०४.०१.२०१९ को संशोधन किया गया और २०११ के नियमों की अनुसूची-११ में, कॉलम क्रमांक-७ को संशोधित किया गया है, जिसे भारत या विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक के रूप में पढ़ा जाता है पद के विज्ञापन की तिथि से पहले, कानून के नियम के तहत स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद के तहत पंजीकृत किया गया।

५. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ने याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनिवार्य रोटेटर इंटरनशिप से गुजरने के लिए पात्र घोषित करने के लिए पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया और प्रतिबंधात्मक तरीके से मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक की देखरेख में पशु चिकित्सा अभ्यास करने के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की। प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा तैयार भर्ती नियमों के अनुसार है और याचिकाकर्ता केवल बैचलर डिग्री कोर्स और बी.व्ही.एससी और ए.एच. कोर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी केवल भर्ती एजेंसी है जो नियमों और विनियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित करती है और किसी भी वस्तु से रहित होने के कारण रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

६. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पांडे ने कहा कि प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी ने लगभग ५ वर्षों के बाद सहायक पशु चिकित्सा सर्जन की भर्ती के लिए पद विज्ञापित किया और विज्ञापित कुल पद १६२ हैं, जिसमें बैकलॉग पद भी शामिल हैं। यह भी कहा कि उक्त विज्ञापन में स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र या अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, जो आवश्यकता को पूरा करेगा। "न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता" के तहत इस्तेमाल किए गए शर्तें अस्पष्ट हैं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी को उचित निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अधिवक्ता ने कहा कि विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उल्लिखित शब्द "पद के विज्ञापन की तिथि के पूर्व" छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा



परिषद में पंजीकृत है, जिसे संशोधन के बाद लाया गया है और ये शब्द ०४.०१.२०१९ से पहले २०११ के मूल नियमों में नहीं थे। २०११ के नियमों में लाया गया संशोधन मनमाना और अनुचित है। याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अपना कोर्स पूरा कर लिया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है और आगे छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर द्वारा अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। लेकिन फिर भी, मौखिक रूप से यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता भर्ती नियमों के अनुसार भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि याचिकाकर्ताओं को विज्ञापित पदों के बीच भर्ती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो ५० से अधिक पद रिक्त रह जाएंगे यह भी तर्क दिया गया है कि "अनिवार्य रोटेटर इंटरनशिप" शब्दों को जोड़ने या उल्लेख करने के बाद याचिकाकर्ताओं को केवल ट्रांसक्रिप्ट जारी करना बाकी है, जो याचिकाकर्ताओं के कुल परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या स्नातक डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि २०११ के नियमों की अनुसूची-III में किए गए संशोधन को मनमाना और अनुचित घोषित किया जाना चाहिए।

७. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल ने प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने नियम बनाने की प्रक्रिया की योग्यता को चुनौती नहीं दी है और न ही इस बारे में कोई विशेष/विशिष्ट दलील दी है कि २०११ के नियमों की अनुसूची-III कॉलम संख्या-७ में लाया गया संशोधन मनमाना कैसे है। केवल एक पंक्ति में यह दलील देकर कि "अनुसूची-III" कॉलम क्रमांक-७ में लाया गया संशोधन अनुचित और मनमाना है, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इसे मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कोई भी नियम अनुचित और मनमाना नहीं होगा यदि यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों के पक्ष में काम नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों के अनुसार बीव्हीएससी एंड एच के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं और वे पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद इंटरनशिप कर रहे हैं यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी पूरा होना बाकी है, जो डिग्री कोर्स का हिस्सा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का उद्देश्य केवल छात्रों को छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर के साथ अनंतिम पंजीकरण के लिए योग्य बनाना है ताकि वह एक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक की देखरेख में इंटरनशिप/प्रशिक्षण ले सकें। अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र छात्रों को पशु चिकित्सा विज्ञान में अभ्यास करने का कोई अधिकार नहीं देता है और योग्यता



में प्रदान किया गया पंजीकरण पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक के लिए पंजीकरण है जो उन्हें पशु चिकित्सा विज्ञान में स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने के योग्य बनाता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में उठाए गए आधार पूरी तरह से गलत हैं।

८. प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री आनंद मोहन तिवारी ने प्रस्तुत किया कि सीजीपीएससी केवल भर्ती एजेंसी है और भर्ती नियमों में निर्धारित अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, जिसके तहत विशेष पदों के लिए विज्ञापन दिया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि २०११ के नियमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तहत आवश्यकता उम्मीदवारों को पशु चिकित्सा विज्ञान के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और विज्ञापन की तारीख से पहले छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद रायपुर में पंजीकृत होना चाहिए। याचिकाकर्ता स्नातक नहीं हैं, लेकिन इंटरनशिप कर रहे हैं जो स्नातक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है और इंटरनशिप पूरा होने के बाद ही डिग्री जारी की जाएगी। पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाण पत्र अनंतिम पंजीकरण के लिए जारी किया जाता है और अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल प्रतिबंधात्मक तरीके से मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक की देखरेख में अभ्यास करने के लिए है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है।

९. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और रिट याचिका में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

१०. रिट याचिका में की गई दलीलों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अंजोरा, जिला दुर्ग में स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और इंटरनशिप कर रहे हैं, जो २७.०६.२०२० को समाप्त होगी। याचिकाकर्ता जिस बी.व्ही.एससी और ए.एच. कोर्स का विरोध कर रहे हैं, वह पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन और डेयरी प्रौद्योगिकी और मत्स्य पालन संकायों में स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक विनियमों द्वारा शासित है। स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक विनियमों को छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय स्नातक शैक्षणिक विनियम २०१३ (इसके बाद विनियम २०१३) के रूप में संदर्भित के रूप में भी जाना जाता है। अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बी.व्ही.एससी एंड ए.एच. की डिग्री। उपर्युक्त विनियमन, २०१३ का भाग पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय, से संबंधित है। विनियमन २.१५, ग्रेड



बिंदुओं की गणना और रिकॉर्डिंग की विधि, विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (डीएमसी) के प्रारूप और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अनुसार डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और पशु चिकित्सा शिक्षा डिग्री पाठ्यक्रम (बी.व्ही.एससी एंड ए.एच) विनियमन, २००८ के न्यूनतम मानकों के लिए निर्धारित करता है। विनियमन २.१८ इंटरनशिप से संबंधित है, जो इस प्रकार है

२.१८ इंटरनशिप बी.व्ही.एससी एंड ए.एच. डिग्री कोर्स के प्रत्येक छात्र को पांचवीं वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी.व्ही.एससी एंड ए.एच. की डिग्री के पुरस्कार और परिषद के साथ पूर्ण पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की संतुष्टि के लिए अनिवार्य घूर्णन इंटरनशिप से गुजरना होगा। अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनशिप में पशु चिकित्सा और पशुपालन सेवाओं में पूर्णकालिक प्रशिक्षण शामिल होगा आपातकालीन और रात्रि ड्यूटी, रविवार और छुट्टियों सहित। प्रशिक्षु अपना पूरा समय प्रशिक्षण के लिए समर्पित करेगा और उसे पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें भुगतान या अन्यथा शामिल है, पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम की सभी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही इंटरनशिप की जाएगी जिसमें ट्रेकिंग कार्यक्रम, अध्ययन मंडल, उद्यमशीलता प्रशिक्षण और आर.वी.सी स्क्वाड्रन / एन.सी.सी. / घुड़सवारी / एन.एस.एस / खेल शामिल हैं और इन विनियमों के तहत निर्धारित खेल। इंटरनशिप कार्यक्रम को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा डिग्री पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानक बी.व्ही.एससी और ए.एच. विनियम, २००८ द्वारा विनियमित किया जाएगा।

११. विनियम, २००८ के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ५ वीं वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद और वह भी विश्वविद्यालय की संतुष्टि के अनुसार न्यूनतम ६ कैलेंडर महीनों की अवधि के लिए इंटरनशिप करना अनिवार्य है और उसके बाद ही उम्मीदवार बी.व्ही.एससी और ए.एच. की डिग्री और परिषद के साथ पूर्ण पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। विनियम २.१८ में प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट है कि इंटरनशिप का सफलतापूर्वक पूरा होना डिग्री प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंटरनशिप के संतोषजनक पूरा किए बिना, एक छात्र को स्नातक नहीं कहा जा सकता है।

१२. बी.व्ही.एससी एवं ए.एच. पाठ्यक्रम के लिए विनियमन ७.०१ में उल्लिखित अवधि डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम १० सेमेस्टर और अधिकतम १६ सेमेस्टर जिसमें छह महीने की इंटरनशिप शामिल है, निर्धारित करती है। यह भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि छह महीने की इंटरनशिप पूरी करना आवश्यक है और छह महीने की इंटरनशिप की अवधि पूरी किए बिना, छात्र डिग्री प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।



१३. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के उपरोक्त विनियमों से, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने बी.व्ही.एससी एवं ए.एच. पाठ्यक्रम के लिए अपनी पढ़ाई का मुकदमा चलाया है, स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि उत्तीर्ण होने के बाद सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, छात्र को प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए छह कैलेंडर महीनों के लिए अनिवार्य घूर्णन इंटरनशिप करनी होगी और उसके बाद ही डिग्री प्रदान की जाएगी।

१४. विनियम, २०१३ में की गई उपर्युक्त आवश्यकता के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी क्रमांक-३/सीजीपीएससी द्वारा दिनांक १९.०२.२०२० के अनुलग्नक पी/४ के माध्यम से विज्ञापित पद पर आवेदन करने के लिए बीवीएससी और एच पाठ्यक्रम में स्नातक नहीं कहा जा सकता है।

१५. अजय कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (१९९९)१ एससीसी ६३६ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंटरनशिप पूरा करने के मुद्दे पर विचार करते हुए इस प्रकार माना है।

“१२. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा ३३ में विनियमन का प्रावधान है तथा इसकी एक उपधारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि के लिए विनियमन बनाने को अधिकृत करती है। अधिनियम की धारा २५ में प्रावधान है कि एक वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण तथा इंटरनशिप पूर्ण एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी योग्यता है। हम यह भी पाते हैं कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार के लिए नियमित पंजीकरण आवश्यक है तथा इंटरनशिप पूरी होने तक नियमित पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, दिसंबर १९९० के अंत में कट.ऑफ तिथि निर्धारित करने तथा इंटरनशिप कर रहे उम्मीदवारों को चयन परीक्षा देने तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की अनुमति देने की उत्तर प्रदेश राज्य की कार्रवाई अधिनियम की योजना तथा उसके तहत बनाए गए विनियमन के विपरीत है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित व्यवस्था को केवल एक अन्य अनुशासनहीन कार्रवाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

“१३. हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उठाए गए अनियमित कदमों के कारण, उम्मीदवारों के एक समूह को अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने और प्रवेश के लिए चुने जाने से पहले ही चयन परीक्षा में बैठने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारे सामने मौजूद ये उम्मीदवार अपने प्रवेश के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह छात्रों का एक समूह है जो पूरी योग्यता प्राप्त कर चुका है और उसका चयन हो चुका है। उपर्युक्त कथन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में माना है कि एमबीबीएस की पूर्ण डिग्री प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण और इंटरनशिप एक बुनियादी योग्यता है और उम्मीदवार को प्रवेश पाने के लिए नियमित पंजीकरण अनिवार्य और आवश्यक है। इस



मामले में, याचिकाकर्ताओं को पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और जिसके आधार पर, वे छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा के साथ अनंतिम रूप से पंजीकृत हैं।

१६. उपर्युक्त कथन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में माना है कि एमबीबीएस की पूर्ण डिग्री प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण और इंटरनशिप एक बुनियादी योग्यता है और उम्मीदवार को प्रवेश पाने के लिए नियमित पंजीकरण अनिवार्य और आवश्यक है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं को पाठ्यक्रम में पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और जिसके आधार पर, वे छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा के साथ अनंतिम रूप से पंजीकृत हैं। इंटरनशिप करने के लिए विशेष उद्देश्य से परिषद में आवेदन करने वाले छात्रों को रिट याचिका दायर करने की तिथि तक इंटरनशिप जारी है। छः महीने की 'इंटरनशिप' पूरी होने से पहले और वह भी विश्वविद्यालय की संतुष्टि से पहले उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्नातक की डिग्री नहीं दी जा सकती।

१७. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य दलील यह है कि प्रतिवादी क्रमांक- ३/सीजीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में यह स्पष्टता नहीं है कि स्थायी या अनंतिम पंजीकरण की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को पहले ही अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल चुका है।

१८. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा २८.१२.२०१९ को जारी पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर पता चला कि यह केवल उन छात्रों को दिखाने के उद्देश्य से है जिनके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया है वे विनियम, २०१३ के अनुसार अनिवार्य इंटरनशिप करने के पात्र हैं और उन्होंने प्रतिबंधात्मक तरीके से मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक की देखरेख में पशु चिकित्सा अभ्यास करने के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रमाण पत्र में, प्रमाण पत्र जारी करने का उद्देश्य विशेष रूप से इस प्रकार उल्लिखित है,

"वह मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक की देखरेख में पशु चिकित्सा अभ्यास करने के लिए एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।"

पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र का कारण यह नहीं होगा कि जिन छात्रों के पक्ष में ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वे स्नातक हो गए हैं।



१९. छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर द्वारा जारी अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रमाण पत्र की प्रकृति अनंतिम है और नोट के तहत, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, केवल प्रशिक्षण/इंटर्नशिप के दौरान अभ्यास के लिए। अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक को पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक की देखरेख में अभ्यास करना होगा। यह विशेष रूप से नोट के तहत उल्लेख किया गया है।

“नोट १. अनुमोदित संस्थान में केवल प्रशिक्षण के लिये ही धारक अभ्यास के लिये अधिकृत होगा।

२. फाइनल पंजीकरण से समय मुल प्रमाण पत्र वापस जमा करवाना अपेक्षित है।”

२०. अनंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित विशिष्ट नोट के मद्देनजर, दस्तावेज की प्रकृति अर्थात केवल अनंतिम प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप पूरी करने के बारे में कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका पंजीकरण पशु चिकित्सा विज्ञान के अभ्यास के उद्देश्य से है, बिना उसकी इंटर्नशिप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप से पूरा किया जाना दर्ज किया जाता है और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई डिग्री की प्रतिलिपि।

२१. उपरोक्त के अलावा, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा बी.व्ही.एससी और ए.एच डिग्री प्रोग्राम अनुलग्नक पी/७ के लिए जारी प्रतिलिपि का अवलोकन, इसमें उद्यमशीलता प्रशिक्षण के बारे में उल्लेख है और इंटर्नशिप के बारे में भी उल्लेख है, जिसे ग्रेड किया जाना आवश्यक है इसका मतलब यह है कि, ग्रेड प्वाइंट की गणना करने और विभिन्न विषयों, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के लिए ग्रेड प्रदान करने के बाद, छात्रों को बी.व्ही.एससी और ए.एच. डिग्री प्रोग्राम/पाठ्यक्रम के सफल समापन के लिए डिग्री प्रदान की जाती है।

२२. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं ने बी.व्ही.एससी एवं ए.एच. के लिए डिग्री कोर्स पूरा कर लिया है, उपर्युक्त कारणों से तथा विनियम, २०१३ के मद्देनजर स्वीकार योग्य नहीं है तथा इसे अस्वीकार किया जाता है।

२३. जहां तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्क का संबंध है कि २०११ के नियम में किया गया संशोधन मनमाना एवं अवैध है, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क नहीं दिया है कि संशोधन लाने



वाले प्रतिवादी/राज्य के पास कानून के तहत योग्यता नहीं है या यह किसी भी तरह से २०११ के नियम के अन्य नियमों के विपरीत है।

२४. असंशोधित नियमों के अवलोकन से यह पता चलता है कि अभ्यर्थियों को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम १९८४ के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद, रायपुर में पंजीकरण के साथ-साथ संशोधन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण विज्ञापन की तिथि से पूर्व की तिथि का होना चाहिए। किसी भी कानून या नियम का प्रावधान केवल इस आधार पर मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता कि यह याचिकाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

२५. पात्रता मानदंड तैयार करने का प्रश्न जो योग्यता और प्रमाण पत्र की अन्य शर्तों को निर्धारित करता है, विशेष रूप से नियोक्ता/राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। नियोक्ता को योग्यता निर्धारित करने वाले पात्रता मानदंड तैयार करने और कट.ऑफ तिथियां भी बनानी होती हैं, जिसके भीतर पात्र उम्मीदवार या आवेदक को आवेदन करना होता है। प्रतिभागियों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी.यू. जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य (२००३)२ एससीसी ६३२ में रिपोर्ट किए गए मामले में इस प्रकार माना है।

“१० हमने दोनों पक्षों की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। पदों के गठन, पैटर्न, नामकरण, संवर्ग, श्रेणियां, उनका सृजन/उन्मूलन, योग्यताएं निर्धारित करना और पदोन्नति के अवसरों सहित सेवा की अन्य शर्तें और ऐसी पदोन्नति के लिए पूरे किए जाने वाले मानदंड नीति के क्षेत्र से संबंधित हैं और राज्य के अनन्य विवेक और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बेशक, भारत के संविधान में परिकल्पित सीमाओं या प्रतिबंधों के अधीन और किसी भी स्थिति में वैधानिक न्यायाधिकरणों का काम सरकार को भर्ती की एक विशेष पद्धति या पात्रता मानदंड या पदोन्नति के अवसरों को निर्धारित करने का निर्देश देना या राज्य के विचारों के स्थान पर अपने विचार थोपना नहीं है। इसी प्रकार, किसी सेवा से संबंधित नियमों को बदलना तथा योग्यताएं पात्रता मानदंड और पदोन्नति के अवसरों सहित सेवा की अन्य शर्तों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित या संशोधित करना राज्य की क्षमता के भीतर है।

२६. किसी नियम को अनुचित और मनमाना कह देने मात्र से ही वह नियम राज्य सरकार के लिए अनुचित और मनमाना हो जाएगा। इसे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कानून के चारों कोनों में स्थापित करने की आवश्यकता है, यह दिखाते हुए कि नियम, जिसे उनके द्वारा चुनौती दी गई है,



कैसे मनमाना और अनुचित है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने कोई मामला नहीं बनाया है, इसके अलावा, यह इंगित नहीं कर सके कि कॉलम नंबर-७ में "न्यूनतम पात्र मानदंड" निर्धारित करने वाली २०११ के नियमों की अनुसूची-III कैसे मनमाना और अनुचित है।

२७. इसके अलावा, संजय कुमार मंजुल बनाम अध्यक्ष, यूपीएससी और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (२००६) ८ एससीसी ४२ में रिपोर्ट की सेवा की शर्तों और नियोक्ता द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताओं में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विचार करते हुए, इस प्रकार माना।

२५. वैधानिक प्राधिकरण सेवा की शर्तों और किसी विशेष पद को धारण करने के लिए आवश्यक योग्यताओं के साथ-साथ सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियम तैयार करने का हकदार है। केवल संबंधित प्राधिकारी ही इस संबंध में अंतिम निर्णय ले सकता है। २६. यह एक सामान्य कानून है, उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नियम की व्याख्या करना होगा, न कि उसे प्रतिस्थापित या पूरक करना।

२७. यह सर्वविदित है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ या ३२ के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय आमतौर पर किसी नियोक्ता को किसी विशेष पद को धारण करने के लिए योग्यता निर्धारित करने का निर्देश नहीं देते हैं।

२८. उपर्युक्त कारणों से, हमें रिट याचिकाओं में कोई तथ्य नहीं मिला। रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं और इसके द्वारा खारिज की जाती हैं।

सही / -
(पी.आर.रामचंद्र मेनन)
मुख्य न्यायाधीश

सही / -
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

====0000=====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।